ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.15से 31.03.18

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हार विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति उषा देवी	01.04.15 से 22.01.16
2	श्री गुरचरण सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति सिम्पी देवी	01.04.15 से 31.03.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड परागपुर के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में भारी अन्तर पाया	0.53

		जाना	
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.17
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	12.56
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.94
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	5.88
7	10	सोलर लाइटों के क्रय में अधिक भुगतान	0.42

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.04.18 से 20.04.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	02/2016	08/2015
2016-17	06/2016	03/2017
2017-18	02/2018	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117 दिनांक 20.04.18 द्वारा

अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 048865 (KCCB) दिनांक 25.04.18 ₹7200/- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत हार, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत हार, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की स्व स्त्रौतों की वितीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	252403	28067	280470	111301	169169
2016-17	169169	102029	271198	131182	140016
2017-18	140016	61672	201688	79830	121858

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत हार, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	554922	2351532	2906454	1940240	966214
2016-17	966214	2882531	3848745	2767276	1081469
2017-18	1081469	2084713.77	3166182.77	1910371	1255811.77

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹121858/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1255812/-

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.18 को अन्तिम शेष : ₹1377670/-

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1323231.77/-

दिनांक 31.03.18 को हस्तगत राशि : ₹1213/-

अन्तर ₹53225/-

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, 13th & 14th FC, GEN-B, SFC, VKVNY, KCCB- 20073018470	1233722.77
ZP, KCCB-50055917725	22526/-
TSC, KCCB-50057701521	22536/-
MP LAD, KCCB-50055917941	2509/-
IWMP, KCCB-50050970873	3241/-
WDF, KCCB-50059585863	38553/-
RAY, KCCB-50055917872	144
कुल राशि	**1323231.77**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹0.53 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.18 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹53225/- का अन्तर पाया गया (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है)। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 116 दिनांक 20.04.18 द्वारा कहा गया था। इस सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 20.04.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर की राशि बारे जांच उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अतिशीघ्र इस अन्तर का मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ तथा भविष्य में रोकड़ वहियों का बैंक खातों के अन्तिम शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 पंचायत की सामान्य रोकड़ वही की जांच में पाया कि रोकड़ वही के पृष्ठ 93 दिनांक 22.03.17 को नकद शेष का अन्तिम शेष ₹223/- था एवं इसके पश्चात दिनांक 26.03.17 को नई रोकड़ वही के पृष्ठ 2 में नकद शेष ₹223/- के स्थान पर ₹72/- लिया गया था, अर्थात ₹151/- का नकद शेष कम लिया गया था। अतः अंकेक्षण के दौरान सचिव के ध्यान में लाने के पश्चात सचिव द्वारा ₹151/- की वसूली रसीद संख्या 12227 दिनांक 19.04.18 को कर ली गई, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

4.3 जांच में पाया कि पंचायत की रोकड़ वहियाँ दिनांक 31.03.18 को पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जिसे शीघ्र सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.4 जांच में पाया कि पंचायत में सामान्य, स्व-स्त्रौत, 14वें वित्त आयोग, SFC एवं VKVNY संबन्धित आय व्यय का रख-रखाव एक ही बैंक खाते में रखा गया था जबकि पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 के अनुसार पंचायत की प्रत्येक योजना के आय-व्यय का रख-रखाव अलग-2 बैंक खाते में रखा जाना अपेक्षित था । अतः उक्त पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार बैंक खाते न खोलने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमानुसार अलग -2 योजना हेतु पृथक बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.17 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.18 को निम्नविवरणानुसार गृहकर के रूप में ₹16975/- की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें ।

गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**गृहकर की मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2015-16	0	11425	11425	2150	9275
2016-17	9275	15350	24625	23000	1625
2017-18	1625	15350	16975	0	16975

6 अनुदान ₹12.56 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹1255812/- उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये

सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.94 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹194270/- के स्टॉक/ स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹ 5.88 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹587720 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक /स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व

आपतिजनक है । इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया कि अंकेक्षण अवधि में हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए एवं व्यय से संबन्धित माप पुस्तिका सहित अन्य बांछित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये । कार्य में व्यय राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक संख्या	**कार्य का नाम**	**निधि का नाम**
1.	नि. अपवर्धन पंचायत घर	सभा निधि
2.	नि. पानी टंकी राम सिंह की गौशाला के पास	-
3.	नि. रास्ता सुशील कुमार के घर से अश्मिलदीन के घर तक	14वां वित्त आयोग
4.	नि. रास्ता अश्मिलदीन के घर से जोगिंद्र की दुकान तक	14वां वित्त आयोग
5.	नि. जीप योग्य सड़क, गाँव हार	MMAGY
6.	नि. रास्ता पानी टैंक से बीरबल के घर तक	14वां वित्त आयोग

10 हिम ऊर्जा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना सोलर लाइटों का क्रय करना एवं निर्धारित दरों से अधिक दरों पर क्रय करने के कारण **₹0.42** लाख **का अधिक भुगतान :-**

14वें वित्त आयोग के चयनित माह के निम्नलिखित वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा मैसर्ज सूर्या शक्ति एनर्जी सिस्टम से 9 सोलर लाइटों का क्रय न्यूनतम निविदा के आधार पर ₹20000/- प्रति सोलर लाइट पर किया गया था, जबकि पत्र संख्या HIMURJA/KGR/DMA/SPV-VIII/2016/557 दिनांक 16.02.17 द्वारा सोलर लाइट की दर ₹15356/- प्रति सोलर लाइट निर्धारित की गई थी । अतः चयनित माहों में ₹4644/- प्रति सोलर लाइट की दर से कुल ₹41796/- का अधिक भुगतान करके आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है एवं सोलर लाइट के क्रय हेतु हिम ऊर्जा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था । अतः विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अधिक दरों पर क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अधिक

भुगतान की गई ₹41796/- की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । क्रय का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं	**वाउचर संख्या**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण**	**राशि**
1	48 दिनांक 10.08.15	Bill No. 394 Dated 06.08.15, M/s Surya Shakti Energy System	8 सोलर लाइट@ ` 20000/- प्रति लाइट	160000.00
2	54 दिनांक 14.08.15	Bill No. 395 Dated 06.08.15, M/s Surya Shakti Energy System	1 सोलर लाइट	20000.00
		Total		**180000.00**

11 KVIC के अन्तर्गत ₹2.57 लाख के व्यय बारेः–

चयनित माहों के व्यय की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित ₹257075 के व्यय KVIC के अन्तर्गत किए गए थे :-

क्र.सं	**वाउचर संख्या**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण**	**राशि**
1	89 दिनांक 03.03.17	Bill No. 762 Dated 18.03.17, M/s Raj Mill Store	हैंडलूम उपकरण	119075.00
2	100 दिनांक 22.03.17	Bill No. 767 Dated 20.03.17, M/s Raj Mill Store	कॉटन इत्यादि	39780.00
3	100 दिनांक 22.03.17	Bill No. 767 Dated 20.03.17, M/s Raj Mill Store	कॉटन इत्यादि	3240.00
4	100 दिनांक 22.03.17	Bill No. - Dated 01.04.17, M/s Sharma General Store	धागा	980.00
5	103 दिनांक 23.03.17	₹30000/- paid to Thakur Karam Singh Charitable trust.	Honorarium of Instructor	30000.00
6	104 दिनांक 23.03.17	₹40000/- paid to Thakur Karam Singh Charitable trust.	monitoring charges	40000.00
7	105 दिनांक 23.03.17	₹24000/- paid to Thakur Karam Singh Charitable trust.	Contigency charges	24000.00
		Total		**257075.00**

उक्त व्ययों की जांच में निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई जिनका निराकरण अंकेक्षण के दौरान नहीं किया गया जिसका अब शीघ्र स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :-

1. KVIC के अन्तर्गत पंचायत को प्राप्त कुल अनुदान राशि एवं व्यय राशि से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।
2. KVIC के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों का विवरण ।
3. KVIC के अन्तर्गत क्रय की गई कुल संपति का विवरण एवं भण्डार प्रविष्टियाँ ।
4. क्रय कॉटन व धागे से तैयार की गई सामग्री का विवरण एवं इनकी भण्डार प्रविष्टियाँ व तैयार सामग्री की बिक्री से प्राप्त राशि का विवरण ।

12 पंचायत की अधिशेष राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अधिशेष धनराशि उपलब्ध थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

5. सीमेंट भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।

6. वही खाते तैयार न करना ।

7. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना ।

14 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता /–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)208/2018 खण्ड–1–5744–5747 दिनांक–06.09.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत हार, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177—2620881